कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर। पत्रॉक:- २२६० / १२-१ गोपेश्वर, दिनांक ' सेवा में.

अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून।

द्वारा:-

निदेशक / वन संरक्षक, नन्दादेवी वायोरिफयर रिजर्व गोपेश्वरा

विषय:-

प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/12951/2015 गौचर सिदोली मोटर मार्ग का विस्तार।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत करना है कि FP/UK/ROAD/10861/2015 के सम्बन्ध में चाही गयी

सूचना संशोधित कर निम्नानुसार आपको प्रेषित की जा रही है :--

Sl. No.	E.D.S. R.O.	Reply by User Agency
1	Provide Sparate Compoment wise break up in B- 2.4 as in following way:- (a) - Road - Muck dumping	component wise break break up Road & Muck dumping के अनुसार संशोधित कर पार्ट ा में आन लाइन किया गया है।
2	In reply to point no. 7, VLC proceedings date of other two villages submitted now are after DM certificate which is not acceptable.	ग्राम ओव्याग्वाड एवं धनपुर की VLC प्रपत्र अलग—2 कर पार्ट ा में आनलाईन अपलोड किया गया है। संलग्न
3	4. In reply to point no. 12, as per the information regarding tree enumeration in hard copy of the proposal out of 964 trees 737 trees are below diameter 0-10 cm therefore the trees proposed to be felled are 230 but the entry of 255 trees are made in online Part-II, which may be corrected accordingly.	पार्ट II में संशोधित कर अपलोड किया गया है।

संलग्न:- ग्राम ओव्याग्वाड एवं धनपुर की VLC प्रपत्र मूल में ।

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

(अमित कंवर) उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,

गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांकis /1 सी0 (वन) दिनांक 🗘 /०। /2018 सेवा में. 1 उपवन संरक्षक केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर। विषय-

प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/12951/2015 गोचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार पर लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

आपका ई०डी०एस० दिनांक 12.01.2018 सन्दर्भ:-

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में अवगत कराना है कि गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार पर

लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार कर दिया गया है।

क0स0ं	प्रश्न आयाराया का निराकरण बिन्दुवार कर दिया गया है प्रश्न	
1	Provide separate component wise break up in B- 2.4 as in following way :- (a) - Road — Muck dumping	उत्तर component wise break up road & muck dumping के अनुसार संशोधित कर पार्ट—। में ऑनलाइन अंकित कर दिया गया है। ग्राम ओब्याग्वाड एवं धनपुर की VLC प्रपत्र अलग—अलग कर आनलाइन अपलोड कर दिया गया है एवं संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
	In reply to point No-7, VLC proceddings date of other two villages submitted now are after DM certificate which is not accepatable.	
3	In reply to point no. 12, as per the information regarding tree enumeration in hard copy of the proposal out of 964 trees 737 trees are below diameter 0-10 cm therefore the trees proposed to be felled are 230 but the entry of 255 trees are made in online Part-II, which may be corrected accordingly.	

अतः अनुरोध है कि उक्त ग्राम ओब्याग्वाड एवं धनपुर के VLC प्रमाण पत्रो को मूल में अपने स्तर से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून उत्तराखण्ड को प्रेषित करने की

संलग्न 1- V.L.C का प्रमाण पत्र मूल में। 2 नं0 |

अस्थाई खण्ड,लो०निद्विव भिर्गीचर (चमोली) A

पत्रांक

/ 1सी0 (वन)

तद्दिनांक

प्रतिलिपि — अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी , उत्तराखण्ड देहरादून को उक्त संदर्भित पत्र के कम मे सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी

रयोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर—सिदोली—धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 2.100 हे0 वन पंचायत भूमि , एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.130 हे0 कुल भूमि 2.230 हे0 भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम— ओब्याग्वाड तहसील— कर्णप्रयाग जिला—चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर—सिदोली—धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु (वन पंचायत भूमि 2.100 हे0 एवं 0.130 हे0 मक डिस्पोजल) कुल 2.230 हे0 वन पंचायत भूमि का का अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ओब्याग्वाड द्वारा दिनांक 10:02:2015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापित्त प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **ओब्याग्वाड** के ग्रामवासियों को उक्त 2.230 है0 वन पंचायत भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/- जीठबीठ जोशी

ग्राम सचिव **ग्राम पंचाठवि०अ**द्धि ग्राम पंचाठ -ॐमेर्ट्सिम्ब्सण् विकास खण्ड-कर्णप्रयाव

ह0 / – ग्राम प्रधान



प्रपत्र-23.1

ग्रामे पंचायत -ओब्याग्वाडे

जीठबीठ जोशी ग्राम पंचाठविठअधिः ग्राम पंचाठ - १५५५ विकास सण्ड-कर्षप्रवाग

ह0/-ग्राम प्रधान विकास क्री रयोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर—सिदोली—धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 2.100 हे0 वन पंचायत भूमि , एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.130 हे0 कुल भूमि 2.230 हे0 भूमि का जो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम— धनपुर तहसील— कर्णप्रयाग जिला—चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर—सिदोली—धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु (वन पंचायत भूमि 2.100 हे0 एवं 0.130 हे0 मक डिस्पोजल) कुल 2.230 हे0 वन पंचायत भूमि का का अस्थाई खण्ड लोठनिठविठ गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में धनपुर द्वारा दिनांक 10.02.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धनपुर के ग्रामवासियों को उक्त 2.230हे0 वन पंचायत भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 /- जीठबीठ जोशी ग्राम सचिवग्राम पंचाठविठअः ग्राम पंचाठ - &-५५ विम वेप १११५ विकास खण्ड-कर्णप्रवाद

ह0 / — ग्राम प्रधान



प्रपत्र-23.1

दिनांक 1022-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत —धनपुर

कमांक 🐧 ग्राम संसा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रा	मवाविकों ने
ी शीलला प्रमूह	नपासिया क नीम हस्ताक्ष्र
(3) QUEIDIE	शिवल शिंद
	9 M Mi Pit
(3) Ex 2/2/2	
1 200 1 12 C	a & K212-12
किनदयाल सिंह	1 22 VISE
(P) 3121 911275	15-15 Chaptie
0 0	STANK BIS
D 19-112 1843	19-112 11-15
Q STILL	11177193
0 3/2/4/0)	7121/1/21
9 811 112	01299/(1)
9 811/145	21143
(D) 29-6 1813	
(3) (4) (4)	201-76 143

की बीठ जोशी बान पंचाठतिठआं ब्राम पंचाठ - से स्प्रिम स्वरू विकास खण्ड-कर्णप्रयाम ह0/-ग्राम प्रधान

